

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 101/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955  
रशीदखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी  
-वादी

-: बनाम :-

- 1- नशीरखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- निशारखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- इकबालखां पिता सलारमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- सलमा पिता सलारमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- राईना उर्फ गुडडी पिता सलारमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- जेतुन पुत्री फतेहमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- नूरखां पिता वलीमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 8- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -  
मौजा कलन्दर खेड़ा पटवार हल्का पीण्ड की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- रशीदखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा सा.देह

आ. नं.	रकबा	लगान
132	0.57	4.56
1	0.57	4.56

- 2- इकबालखां पिता सलारमोहम्मद 23/110 जेतुन पुत्री फतेहमोहम्मद 9/55 फातमा बेगम पत्नी सलार मोहम्मद 23/110 राईना उर्फ गुडडी पुत्री सलार मोहम्मद 23/110 सलमा पुत्री सलार मोहम्मद 23/110 मुसलमान सा. देह

आ. नं.	रकबा	लगान
183	0.11	3.63
1	0.11	3.63

- 3- इकबालखां पिता सलारमोहम्मद 11/105 नूरखां पुत्र वली मोहम्मद 2/5 नशीर खां पुत्र नियाज खां 19/210 निशार खां पुत्र नियाज खां 19/210 फातमा बेगम पत्नी सलार मोहम्मद 11/105 राईना उर्फ गुडडी पुत्री सलार मोहम्मद 11/105 सलमा पुत्री सलार मोहम्मद 11/1105 मुसलमान सा. देह खातेदार


आ. नं.	रकबा	लगान
200	0.11	3.63
201	0.47	15.51
227	0.47	8.93
3	1.05	28.07

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को... को... यह आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



PTO

  
प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

## निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 101/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955  
रशीदखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी  
-वादी

-: बनाम :-

- 1- नशीरखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- निशारखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- इकबालखां पिता सलारमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- सलमा पिता सलारमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- राईना उर्फ गुडडी पिता सलारमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- जेतुन पुत्री फतेहमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- नूरखां पिता वलीमोहम्मद मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 8- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -  
मौजा कलन्दर खेड़ा पटवार हल्का पीण्ड की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- रशीदखां पिता नियाजखां मुसलमान नि. कलन्दरखेड़ा सा.देह

आ. नं.	रकबा	लगान
132	0.57	4.56
1	0.57	4.56


2- इकबालखां पिता सलारमोहम्मद 23/110 जेतुन पुत्री फतेहमोहम्मद 9/55 फातमा बेगम पत्नी सलार मोहम्मद 23/110 राईना उर्फ गुडडी पुत्री सलार मोहम्मद 23/110 सलमा पुत्री सलार मोहम्मद 23/110 मुसलमान सा. देह


आ. नं.	रकबा	लगान
183	0.11	3.63
1	0.11	3.63

3- इकबालखां पिता सलारमोहम्मद 11/105 नूरखां पुत्र वली मोहम्मद 2/5 नशीर खां पुत्र नियाज खां 19/210 निशार खां पुत्र नियाज खां 19/210 फातमा बेगम पत्नी सलार मोहम्मद 11/105 राईना उर्फ गुडडी पुत्री सलार मोहम्मद 11/105 सलमा पुत्री सलार मोहम्मद 11/1105 मुसलमान सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
200	0.11	3.63
201	0.47	15.51
227	0.47	8.93
3	1.05	28.07

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।  
निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



  
प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी